न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—78 / 2020 / 225 (2020 / 00078)

1. बद्रीलाल दत्तक पुत्र कल्याण, जाति मीणा, निवासी मेवदाकलां, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. पोखर पुत्र रामदेव, जाति गुर्जर, निवासी ढण्ड का रास्ता, केकड़ी, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर ।
2. हरीश कुमार पुत्र गोविन्दराम, जाति सिंधी, निवासी जोशी कॉलोनी,केकड़ी, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, केकड़ी, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी दिनांक 20.2.2019 अंतर्गत प्रकरण संख्या 33 / 2018.

उपस्थितः—

1. श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, वकील अपीलांट ।
2. श्री मंगलाराम चौधरी, वकील रेस्पो0 संख्या 2.
3. रेस्पो0 संख्या 1 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः— 30.3.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के आदेश दिनांक 20.2.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. प्रार्थीगण / रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251—ए राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश अपीलांट व राजस्थान सरकार के विरूद्ध पेश कर कथन किया कि खसरा नंबर 2474 रेस्पो0 की खातेदारी की आराजी है एवं खसरा नंबर 2472 एवं 3846 / 2472 अपीलांट की खातेदारी की आराजी है । रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने अपीलांट के खेत खसरा नंबर 2472 व 3846 / 2472 में से रास्ते की मांग की । अधी0न्याया0 ने निर्णय दिनांक 20.2.2019 द्वारा गैर कानूनी रूप से रेस्पोडेंटस का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलांट की आराजी खसरा नंबर 2472 व 3846 / 2472 में से रास्ता प्रदान किये जाने के

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांट ने रास्ते बाबत् कोई सहमति नहीं दी बल्कि वास्तविक स्थिति यह है कि अपीलांट का खेत खसरा नंबर 2472 व 3846/2472 में से कोई रास्ता नहीं है । खेत खसरा नंबर 2473 जो कि प्रेमदेवी का है उसमें से रेस्पो0 संख्या 1 व 2 आते–जाते है । प्रेमदेवी को रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश पारित करने में त्रुटि कारित की है । रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की जिससे यह सिद्ध हो कि वे अपीलांट की खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 2472 व 3846/2472 में से आते जाते हो । अपीलांट की और से पत्रावली पर जो तथाकथित सहमति का जवाब प्रस्तुत किया गया है वह तस्दीकशुदा भी नहीं है जबकि यह न्याय का सुस्थापित सिद्धांत है कि बिना तस्दीक के सहमति का जवाब प्रस्तुत ही नही किया जा सकता है इससे भी सिद्ध है कि अपीलांट ने रास्ते बाबत् कोई सहमति नहीं दी थी बल्कि अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष अपने अधिवक्ता को धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 को कन्टेस्ट करते हुए जवाब प्रस्तुत करने का निवेदन किया था । तहसीलदार केकड़ी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट भी अस्पष्ट एवं अपूर्ण है तथा दोनों पक्षों की उपस्थिति में नहीं बनाई गई है जिस कारण अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 20.2.2019 एवं रेस्पो0 संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 निरस्त किया जावे । विद्वान वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन मे आर0आर0टी0 2017 (1) पेज 342, आर0आर0टी0 2016 (2) पेज 1281 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थी को निर्णय की सूचना नहीं जिससे निर्णय की समय पर जानकारी नही हो सकी थी । स्वंय प्रार्थी ने दिनांक 27.2.2020 को अपने अधिवक्ता से संपर्क किया तब उसने बताया कि प्रकरण का फैसला प्रार्थी के विरूद्ध हो चुका है । तब प्रार्थी ने दिनांक 27.2.2020 को नकल हेतु आवेदन पेश किया तथा दिनांक 27.2.2020 को नकल प्राप्त होने पर कानूनी सलाह लेकर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 2 ने बहस में निवेदन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । अपीलांट ने मियाद बाहर अपील पेश की है तथा विलंब के भी समुचित तथा संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किये है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 ख्स्पो0क र अपील मियाद बिन्दू पर ही खारिज की जावे ।

7. प्रकरण मे गुणावगुण पर रेस्पो0 ने बहस में कथन किया कि रेस्पो0 की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 2474 है । रेस्पो0 अपनी खातेदारी आराजी में अपने पूर्वजों के समय से अपीलांट की आराजी खसरा नंबर 2472 व 3846/2472 में से आने जाने हेतु उपयोग उपभोग करते रहे है। रेस्पो0 की आराजियात में आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर मौजूद नहीं है । अपीलांट आये दिन उक्त रास्ते में बाधा

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

उत्पन्न करता रहता है । अधी0न्याया0 ने निर्णय से पूर्व तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त की है जिसमें तहसीलदार ने अंकित किया है कि रेस्पो0 की खातेदारी आराजी में आवागमन का कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है तथा रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है । उक्त रास्ता प्रार्थी के खेत से निकटतम सरकारी रास्ते से लघुतम दूरी से सुविधाजनक रास्ता है । तहसीलदार की उक्त रिपोर्ट से भी स्पष्ट है कि अपीलांट को रास्ते की आत्यंतिक आवश्कता है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्यों के परिपेक्ष्य में अपीलाधीन आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत् आदेश है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

8. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने अधी0न्याया0 के निर्णय दिनांक 20.2.2019 के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 26.5.2020 को लगभग 15 माह के विलंब उपरांत पेश की है । अपीलांट ने विलंब का कारण अधिवक्ता द्वारा सूचना नहीं दिया जाना बताया है, जबकि अपने प्रकरण की जानकारी रखना स्वंय पक्षकार का दायित्व है । इतने लंबी अवधि तक अपीलांट ने अपने अधिवक्ता से संपर्क नहीं किया हो उचित प्रतीत नहीं होता है । अपीलांट ने विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित समुचित एवं संतोषप्रद नहीं होने से इतनी लंबी अवधि का विलंब क्षम्य नहीं किया जा सकता है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 खारिज किया जाता है ।

9. प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रार्थीगण/रेस्पो0 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 पेश कर स्वंय की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 2474 में अप्रार्थी/अपीलांट की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 2472 व 3846/2472 में से रास्ते का अनुतोष चाहा है । प्रार्थीगण/रेस्पो0 ने अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 3 में यह कथन किया है कि पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजियात में प्रार्थीगण बतौर खातेदार काश्तकार काबिज है तथा आराजियात में आने जाने का एकमात्र रास्ता खसरा नंबर 2472 व 3846/2472 जो कि अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की आराजियात है, में से होकर जाता है, जो संलग्न नजरी नक्शे में सुर्ख लाल स्याही से दर्शित है । उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अधी0न्याया0 द्वारा जरिये नोटिस अप्रार्थी/अपीलांट को तलब किया गया । अपीलांट/अप्रार्थी ने अधी0न्याया0 के समक्ष उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसके पैरा संख्या 2 में यह कथन किया है कि " प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 3 में वर्णित कथन सही है । उक्त आराजियात के लगवा हमारे पूर्वजों के समय से मौके पर रास्ता बना हुआ है जिसका सभी आराजियात वाले उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है । " अपीलांट/अप्रार्थी द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 से यह स्पष्ट है कि अपीलांट/अप्रार्थी की खातेदारी आराजियात खसरा नंबर 2472 व 3846/2472 में प्रार्थी/अपीलांट की आराजी खसरा नंबर 2474 में आवागम हेतु पूर्व से रास्ता विद्यमान रहा है । इस प्रकार अपीलांट की आराजी खसरा नंबर 2472 व 3846/2472 में से पूर्व से प्रार्थी/रेस्पो0 की आराजी खसरा नंबर 2474 में आवागमन का रास्ता पूर्व से विद्यमान होने की स्वीकारोक्ति होने से भी अपील अपीलांट खारिज योग्य पायी जाती है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावजी साक्ष्यों के परिपेक्ष्य में अपीलाधीन आदेश द्वारा प्रार्थी/रेस्पो0 की आराजी में आवागमन हेतु अपीलांट/अप्रार्थी की आराजी खसरा नंबर 2472 व

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

3846/2472 में से रास्ते के आदेश पारित किये जो विधिसम्मत् है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

10. अतः अपल अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.2.2019 यथावत् रखा जाता है।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 30.3.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर